Sd/- 18

राजस्थान ...

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु/2004-05/275 दिनांक 10.1.05

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषय :- स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेख है कि निम्नलिखित महाविद्यालय, 1969 अधिनियम के पूर्व स्थापित होने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के कारण उनके नाम के सामने अंकित वर्ष से उनको स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थायी एनओसी जारी करने का वर्ष
1.	सेठ जी.बी. पोद्दार कालेज, नवलगढ़ जिला झुंझुनू	1945	1948
2.	एस.एस.जी. पारीक महाविद्यालय, जयपुर	1955	1958
3.	अग्रवाल कालेज, जयपुर	1957	1960
4.	चिड़ावा कालेज, चिड़ावा जिला झुंझुनू	1958	1961
5.	सेठ मोतीलाल कालेज, झुंझुनू	1958	1961
6.	एस.एस. जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	1959	1962
7.	शारदा सदन कालेज, मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनू	1959	1962
8.	सेठ जी.आर. चमड़िया कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1960	1963
9.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर	1963	1966
10.	कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	1965	1968
11	श्री बी.डी. तोदी कालेज, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	1965	1968
12.	इंदिरा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता जिला झुंझुनू	1966	1968
13.	एम.के. साबू कालेज आफ कामर्स, पिलानी जिला झुंझुनू	1970	1973
14.	जी.डी. कालेज बगड़ गांव जिला झुंझुनू	1970	1973
15.	श्री संतसाई कालेज फार वूमेन, जयपुर	1974	1977
16.	श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर	1977	1980
17.	एस.एस. जैन सुबोध इवनिंग कालेज, जयपुर	1977	1980
18.	सेठ रामकिशन धानुका गर्ल्स कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1978	1981
19.	श्रीमती इन्द्रमणि मंडेलिया गृहविज्ञान गर्ल्स कालेज, पिलानी जिला झुंझुनू	1980	1983
20.	आर्य गर्ल्स कालेज, अलवर	1980	1983
21.	जे.बी. शाह गर्ल्स कालेज, झुंझुनू	1982	1985
22.	संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	1983	1986
23.	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
24.	विनोदनी कालेज, खेतड़ी जिला झुंझुनू	1986	1989

(85)

25.	श्री आदि नाथ इवनिंग गर्ल्स कालेज, अलवर	1986	1989
26.	श्री खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
27.	स्वामी माधवानन्द गर्ल्स कालेज, जयपुर	1986	1989
28.	श्री बांकेबिहारी कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय, डीग जिला भरतपुर	1987	1990
29.	श्रीमती गिन्नीदेवी सत्यनारायण रोवारिया गर्ल्स कालेज, चिड़ावा जिला झुंझुनूं	1987	1990
30.	आर्य विद्यापीठ गर्ल्स कालेज, भुसावर जिला भरतपुर	1980	1983

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करेगी ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय मे अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर जारी राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था पूर्व मे जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तो की पालना करेगी ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नही होगी ।
8. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को आहरित (withdraw) भी किया जा सकता है ।

भवदीय,

10/1/05

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान; जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, जयपुर/झुंझुनूं/अलवर/भरतपुर/सीकर ।
8. सचिव, संबंधित महाविद्यालय
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।

10.1.05
संयुक्त–निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

(4)

राजस्थान सरकार
कॉलेज–शिक्षा

आयुक्तालय,कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4 (पॉलिसी) लेखा/अनु/ आकाशि/2010/7 दिनांक:– 4/1/10

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

विषय:– सत्र 2010–11 से नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करने हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2010–11 से राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त अनुदानित एवं निजी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों को नये विषय/संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नये विषय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ।

नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करनें के सम्बन्ध में अनुदानित एवं गैर अनुदानित स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय सीधें ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय को आवदेन कर सम्बद्धता प्राप्त करें ।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राज., जयपुर

Principal
Seth G.B. Podar College
Nawalgarh - 333042

Scanned with OKEN Scanner

(5)

Date.... 15/1/10

कार्यालय, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा; राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ.24(36)लेखा/अनु/आकाशि/विषय/09/ 9822 दिनांक. 7-1-10

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
सेठ जी.बी.पोदार कॉलेज,
रामबिलास पोदार रोड,
नवलगढ, झुंझुनू

विषयः— सत्र 2010—11 नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु विभाग की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में
संदर्भ :—आपका पत्रांक 0 दिनांक 29.08.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सत्र 2010—11 से नवीन पॉलिसी के तहत स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय को नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करने हेतु विभाग की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है । इस सन्दर्भ में सभी विश्वविद्यालयों को विभाग द्वारा पत्र कमांक एफ.4(पॉलिसी) लेखा / अनु/ आकाशि/2010/07 दिनांक 04.01.2010 जारी किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (अनु)
कॉलेज शिक्षा, राज.,जयपुर

Principal
Seth G.B. Podar College
Nawalgarh - 333042

Scanned with OKEN Scanner